GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ENERGY DEPARTMENT

No.F.23(3)Energy/2015 Jaipur, dated: 21 MAR 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Regulation 32 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time, the State Government, with immediate effect, hereby notifies,-

(i) that no electrical generating units, including those producing electrical energy from renewable sources of energy having capacity above 1 MVA without the inspection of the Electrical Inspector shall be energized and the owner shall give 30 days' notice of his intention to commission the units to the inspector;

(ii) that the generating units having capacity above 100 kVA and upto 1 MVA, shall be self-certified with assistance of Chartered Electrical Safety Engineer or certified by an Electrical Inspector as may be opted by the owner;

(iii) that the generating units having capacity upto 100 kVA, shall be self-certified or certified by an Electrical Inspector as may be opted by the owner; and

(iv) that notwithstanding anything contained in clause (i), (ii) and (iii) above, the Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors shall have the powers to take appropriate action under the Rajasthan Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors (Powers and Functions) Rules, 2016.

By order of the Governor,

(U.D. Khan)
Joint Secretary to Govt.
21/3/16

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1- Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
2- Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
3- Special Assistant, Hon"ble State Minister, Energy
4- Superintendent, Central Govt. Press, Jaipur with a request kindly get it published in extra ordinary gazette of Rajasthan Rajpatra.
5- Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi.
6- Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi
7- PS to Pr. Secretary, Energy
8- Chairman & Managing Director, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran/Utpadan Nigam Limited, Jaipur
9- Chairman & Managing Director, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, Jaipur
10- Managing Director, Jodhpur/Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited.
11- Secretary, Rajasthan Electricity Regulatory Commission, Jaipur
12- Managing Director, Rajasthan Renewable Energy Corporation, Jaipur
13- Sr. Electrical Inspector, Rajasthan, Jaipur. Kindly circulate it to all subordinate offfices.
14- Guard File.

Joint Secretary to Govt.
21/3/16

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

ENERGY DEPARTMENT

No.F.23(3)Energy/2015 Jaipur, dated: 21 MAR 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by, sub-regulation (1) of regulation 36 and sub-regulation (2) of regulation 43 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time, the State Government, hereby notifies, with immediate effect,-

(i) that 33 kV (kilo-volts) is the voltage, above which, inspection and testing of electrical installation including installations of suppliers or consumers shall be carried out by the Electrical Inspector;

(ii) that the electrical installations of suppliers or consumers, connected with electricity at voltage equal to or above 11 kV and upto 33 kV shall be self-certified with the assistance of Chartered Electrical Safety Engineer or certified by an Electrical Inspector as may be opted by the supplier or consumer;

(iii) that the electrical installations of suppliers or consumers connected with electricity at voltage below 11 kV shall be self-certified or certified by an Electrical Inspector as may be opted by the supplier or consumer;

(iv) that notwithstanding anything contained in clause (ii) and (iii) above, self-certification in case of all multi-storeyed buildings above fifteen meters height, shall be permitted only if, it is done in with assistance of two Chartered Electrical Safety Engineer.

(v) that notwithstanding anything contained in clause (ii), (iii) and (iv) above, the inspection and testing of all underground electrical installations, cinema

halls, hospitals, theatres , places of large public gathering and places of VIP visits shall be carried out by the Electrical Inspector.

(vi) that the supplier shall energize the electrical installation only after receipt of self-certification from the owner or the certificate from an Electrical Inspector, as the case may be.

(vii) that notwithstanding anything contained in clause (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above, the Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors shall have the powers to take appropriate action under the Rajasthan Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors (Powers and Functions) Rules, 2016.

By order of the Governor,

(U.D. Khan)
Joint Secretary to Govt.
21/3/16

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1- Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
2- Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
3- Special Assistant, Hon"ble State Minister, Energy
4- Superintendent, Central Govt. Press, Jaipur with a request kindly get it published in extra ordinary gazette of Rajasthan Rajpatra.
5- Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi.
6- Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi
7- PS to Pr. Secretary, Energy
8- Chairman & Managing Director, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran/Utpadan Nigam Limited, Jaipur
9- Chairman & Managing Director, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, Jaipur
10- Managing Director, Jodhpur/Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited.
11- Secretary, Rajasthan Electricity Regulatory Commission, Jaipur
12- Managing Director, Rajasthan Renewable Energy Corporation, Jaipur
13- Sr. Electrical Inspector, Rajasthan, Jaipur. Kindly circulate it to all subordinate offfices.
14- Guard File.

Joint Secretary to Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ENERGY DEPARTMENT

No. F.23(3)Energy/2015 Jaipur, dated 21 MAR 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-regulation (2) of regulation 10 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the State Government, hereby notifies Rupees One Hundred (Rs. 100/-) as the price for the printed copy of license and maps of area of supply covered by the licensee, with immediate effect.

By order of the Governor,

(U.D. Khan)
Joint Secretary to Govt.
21/3/16

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1- Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
2- Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
3- Special Assistant, Hon"ble State Minister, Energy
4- Superintendent, Central Govt. Press, Jaipur with a request kindly get it published in extra ordinary gazette of Rajasthan Rajpatra.
5- Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi.
6- Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi
7- PS to Pr. Secretary, Energy
8- Chairman & Managing Director, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran/Utpadan Nigam Limited, Jaipur
9- Chairman & Managing Director, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, Jaipur
10- Managing Director, Jodhpur/Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited.
11- Secretary, Rajasthan Electricity Regulatory Commission, Jaipur
12- Managing Director, Rajasthan Renewable Energy Corporation, Jaipur
13- Sr. Electrical Inspector, Rajasthan, Jaipur. Kindly circulate it to all subordinate offfices.
14- Guard File.

Joint Secretary to Govt.
21/3/16

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ENERGY DEPARTMENT

No.F.23(3)Energy/2015 Jaipur, dated: 21 MAR 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of regulation 16 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the State Government, hereby specifies 01.01.1957 as the date before which installations already connected to the system may not be provided any earthed terminal by the supplier, if he is satisfied that the consumer's earthing arrangement is efficient.

By order of the Governor,

(U.D Khan)
Joint Secretary to Govt.
21/3/16

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1- Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
2- Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
3- Special Assistant, Hon"ble State Minister, Energy
4- Superintendent, Central Govt. Press, Jaipur with a request kindly get it published in extra ordinary gazette of Rajasthan Rajpatra.
5- Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi.
6- Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi
7- PS to Pr. Secretary, Energy
8- Chairman & Managing Director, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran/Utpadan Nigam Limited, Jaipur
9- Chairman & Managing Director, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, Jaipur
10- Managing Director, Jodhpur/Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited.
11- Secretary, Rajasthan Electricity Regulatory Commission, Jaipur
12- Managing Director, Rajasthan Renewable Energy Corporation, Jaipur
13- Sr. Electrical Inspector, Rajasthan, Jaipur. Kindly circulate it to all subordinate offfices.
14- Guard File.

Joint Secretary to Govt.
21/3/16

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ENERGY DEPARTMENT

No.F.23(3)Energy/2015 Jaipur, dated: 21 MAR 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of regulation 30 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time, the State Government, with immediate effect, hereby directs that, the installations connected to the supply system of supplier or trader shall be inspected and tested once in a five years.

By order of the Governor,

(U.D. Khan)
Joint Secretary to Govt.
21/3/16

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1- Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
2- Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
3- Special Assistant, Hon"ble State Minister, Energy
4- Superintendent, Central Govt. Press, Jaipur with a request kindly get it published in extra ordinary gazette of Rajasthan Rajpatra.
5- Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi.
6- Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi
7- PS to Pr. Secretary, Energy
8- Chairman & Managing Director, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran/Utpadan Nigam Limited, Jaipur
9- Chairman & Managing Director, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, Jaipur
10- Managing Director, Jodhpur/Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited.
11- Secretary, Rajasthan Electricity Regulatory Commission, Jaipur
12- Managing Director, Rajasthan Renewable Energy Corporation, Jaipur
13- Sr. Electrical Inspector, Rajasthan, Jaipur. Kindly circulate it to all subordinate offfices.
14- Guard File.

Joint Secretary to Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ENERGY DEPARTMENT

No.F.23(3)Energy/2015 Jaipur, dated: 2[illegible]

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by regulation 5A of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time, the State Government hereby, with immediate effect, authorize the persons who are certified as Chartered Electrical Safety Engineer by the Technical committee, constituted by the Government, to assist the owner or supplier or consumer of electrical installation for the purpose of self-certification.

By order of the Governor,

(U.D. Khan)
Joint Secretary to Govt.
21/3/16

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1- Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
2- Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
3- Special Assistant, Hon"ble State Minister, Energy
4- Superintendent, Central Govt. Press, Jaipur with a request kindly get it published in extra ordinary gazette of Rajasthan Rajpatra.
5- Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi.
6- Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi
7- PS to Pr. Secretary, Energy
8- Chairman & Managing Director, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran/Utpadan Nigam Limited, Jaipur
9- Chairman & Managing Director, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, Jaipur
10- Managing Director, Jodhpur/Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited.
11- Secretary, Rajasthan Electricity Regulatory Commission, Jaipur
12- Managing Director, Rajasthan Renewable Energy Corporation, Jaipur
13- Sr. Electrical Inspector, Rajasthan, Jaipur. Kindly circulate it to all subordinate offfices.
14- Guard File.

Joint Secretary to Govt.

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

कमांक पं. 23(3) ऊर्जा/2015 **जयपुर, दिनांक : 21 MAR 2016**

अधिसूचना

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010, समय–समय पर यथा संशोधित, के विनियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से अधिसूचित करती है,–

(i) कि किन्हीं विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयों, उन इकाइयों को सम्मिलित करते हुए जो विद्युत निरीक्षक के निरीक्षण के बिना 1 एम वी ए से अधिक क्षमता वाले ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से विद्युत ऊर्जा उत्पादित कर रही हैं, को क्रियाशील नहीं किया जायेगा और स्वामी निरीक्षक को इकाइयां कमीशन करने के अपने आशय का 30 दिन का नोटिस देगा;

(ii) कि 100 के वी ए से अधिक और 1 एम वी ए तक की क्षमता वाली उत्पादन इकाइयां, चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा इंजीनियर की सहायता से स्व प्रमाणित या किसी विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रमाणित की जायेंगी जैसा स्वामी द्वारा विकल्प दिया जाये;

(iii) कि 100 के वी ए तक की क्षमता वाली उत्पादन इकाइयां, स्व–प्रमाणित या किसी विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रमाणित की जायेंगी जैसा स्वामी द्वारा विकल्प दिया जाये; और

(iv) उपर्युक्त खण्ड (i), (ii) और (iii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक के पास राजस्थान मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक (शक्तियां और कृत्य) नियम, 2016 के अधीन समुचित कार्रवाई करने की शक्तियां होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(यू.डी. खान) 21/3/16
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधीसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाकर दो प्रतियॉ इस विभाग को भिजवावे।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
6. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर /अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर/अजमेर
11. सचिव, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर
12. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
13. वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधीनस्थ कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
14. रक्षित पत्रावली

21/3/16

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांक पं. 23(3) ऊर्जा/2015 **जयपुर, दिनांक :** 21 MAR 2016

अधिसूचना

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010, समय–समय पर यथा संशोधित, के विनियम 36 के उप–विनियम (1) और विनियम 43 के उप–विनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से अधिसूचित करती है,–

(i) कि 33 के.वी. (किलो वाट) वह वोल्टेज है जिससे ऊपर, आपूर्तिकर्त्ताओं या उपभोक्ताओं के संस्थापनों को सम्मिलित करते हुए विद्युत संस्थापन का निरीक्षण और परीक्षण विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

(ii) कि 11 के.वी. के समतुल्य या उससे ऊपर और 33 के.वी. वोल्टेज के विद्युत से जुड़े हुए आपूर्तिकर्त्ताओं या उपभोक्ताओं के विद्युत संस्थापन चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा इंजीनियर की सहायता से स्व–प्रमाणित या किसी विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे, जैसा आपूर्तिकर्त्ता या उपभोक्ता द्वारा विकल्प दिया जाये;

(iii) कि 11 के.वी. से कम के वोल्टेज के विद्युत से जुड़े हुए आपूर्तिकर्त्ताओं या उपभोक्ताओं के विद्युत संस्थापन स्व–प्रमाणित या किसी विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे, जैसा आपूर्तिकर्त्ता या उपभोक्ता द्वारा विकल्प दिया जाये;

(iv) उपर्युक्त खण्ड (ii) और (iii) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पन्द्रह मीटर से अधिक की ऊंचाई के समस्त बहु–मंजिला भवनों के मामलों में स्व–प्रमाणन केवल तब ही अनुज्ञात किया जायेगा यदि जब ऐसा दो चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा इंजीनियर की सहायता से किया गया हो।

(v) उपर्युक्त खण्ड (ii), (iii) और (iv) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समस्त भूमिगत विद्युत संस्थापनों, सिनेमा हालों, अस्पतालों, थियेटरों, बड़ी मात्रा में जनता के एकत्र होने वाले स्थानों और अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों के स्थानों का निरीक्षण और परीक्षण विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

(vi) कि आपूर्तिकर्त्ता स्वामी से स्व–प्रमाणन या, यथास्थिति, विद्युत निरीक्षक से प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात् की विद्युत संस्थापन क्रियाशील करेगा।

(vii) उपर्युक्त खण्ड (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक के पास राजस्थान मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक (शक्तियां और कृत्य) नियम, 2016 के अधीन समुचित कार्रवाई करने की शक्तियां होंगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(यू.डी. खान) 21/3/16

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधीसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाकर दो प्रतियॉ इस विभाग को भिजवावे।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
6. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर /अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर/अजमेर
11. सचिव, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर
12. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
13. वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधीनस्थ कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
14. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांक पं. 23(3) ऊर्जा/2015 **जयपुर, दिनांक :** 21 MAR 2016

अधिसूचना

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 10 के उप–विनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की अनुज्ञप्ति और नक्शों की मुद्रित प्रति के लिए कीमत के रूप में एक सौ रूपये (100/–रू.) इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से अधिसूचित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(यू. डी. खान) 21/3/16
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधीसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाकर दो प्रतियॉ इस विभाग को भिजवावे।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
6. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर /अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर/अजमेर
11. सचिव, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर
12. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
13. वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधीनस्थ कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
14. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

कमांक पं. 23(3) ऊर्जा/2015 **जयपुर, दिनांक : 21 MAR 2016**

अधिसूचना

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 16 के उप–विनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा, दिनांक 01.01.1957 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके पूर्व प्रणाली से पहले से ही जुड़े हुए स्थापनों को आपूर्तिकर्त्ता द्वारा कोई भूमिगत टर्मिनल उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उपभोक्ता की अर्थिंग व्यवस्था पर्याप्त है।

राज्यपाल के आदेश से,

(यू. डी. खान)
संयुक्त शासन सचिव
21/3/16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधीसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाकर दो प्रतियॉ इस विभाग को भिजवावे।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
6. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर /अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर/अजमेर
11. सचिव, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर
12. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
13. वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधीनस्थ कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
14. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांक पं. 23(3) ऊर्जा/2015 जयपुर, दिनांक :21 MAR 2016

अधिसूचना

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010, समय–समय पर यथा संशोधित, के विनियम 30 के उप–विनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से निदेश देती है कि आपूर्तिकर्त्ता या व्यापारी की आपूर्ति प्रणाली से जुड़े हुए स्थापनों का पांच वर्ष में एक बार निरीक्षण और परीक्षण किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

21/3/16

(यू.डी. खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधीसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाकर दो प्रतियॉ इस विभाग को भिजवावे।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
6. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर /अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर/अजमेर
11. सचिव, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर
12. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
13. वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधीनस्थ कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
14. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

कमांक पं. 23(3) ऊर्जा/2015 **जयपुर, दिनांक : 21 MAR 2016**

अधिसूचना

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010, समय–समय पर यथा संशोधित, के विनियम 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से स्व–प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए विद्युत स्थापन के स्वामी या आपूर्तिकर्त्ता या उपभोक्ता की सहायता करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को प्राधिकृत करती है जो सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा इंजीनियर के रूप में प्रमाणित है।

राज्यपाल के आदेश से,

(यू.डी. खान)
संयुक्त शासन सचिव
21/3/16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधीसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाकर दो प्रतियॉ इस विभाग को भिजवावे।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
6. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर /अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर/अजमेर
11. सचिव, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर
12. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
13. वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधीनस्थ कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
14. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव